

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/14/9454

जयपुर दिनांक:- 16/12/2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर (पंचायत),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2015 हेतु -
प्रारम्भिक तैयारियां।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2015 में करवाये जाने हैं। निर्वाचन कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही घोषित किया जाना है।

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश ई-मेल द्वारा प्रेषित किये गये हैं, और इन महत्वपूर्ण निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। पिछले आम चुनाव की भाँति इस वर्ष भी आम चुनाव मतपेटियों के माध्यम से ही सम्पन्न कराये जावेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 16 जिलों में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान ईवीएम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग से ईवीएम का आवंटन करवा लिया गया है तथा इसके संबंध में आपको अलग से सूचित किया जा चुका है।

आम चुनावों से संबंधित सभी तैयारियां आप द्वारा समय पर सम्पन्न करवायी जानी है। इस हेतु आप रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान दलों का गठन, मतदान सामग्री की तैयारी आदि व्यवस्थाएँ कराया जाना सुनिश्चित कर लें।

1. **पुस्तकें** - पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन (Compendium of Instruction) तथा Manual of Panchayati Raj Election Law, पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में किये गये संशोधनों, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदाताओं को "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2014, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के रूप में घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने संबंधी प्रावधान किये गये हैं, को समाहित करते हुए तैयार की गई हैं। निदेश पुस्तिका जो शीघ्र ही राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवायी जा रही है। उक्त पुस्तकें इस बार आयोग द्वारा मुद्रित करवाकर चुनाव सामग्री के साथ वितरित नहीं की जावेंगी। मतदान दलों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका तैयार की जा चुकी है। यु पुस्तिकाएँ चुनाव सामग्री के आवंटन के साथ वितरित कर दी जावेगी। उक्त मार्गदर्शिका आयोग

3
15/12

की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जहाँ पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होने हैं, वहाँ मतदान दलों के लिए अलग से मार्गदर्शिका भी तैयार की गई हैं। इस मार्गदर्शिका की मुद्रित प्रति सामग्री वितरण के समय संबंधित जिलों को वितरित की जावेगी। यह मार्गदर्शिका आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. **मतदाता सूचियाँ** — दिनांक 1.1.2014 को अर्हता तिथि तथा विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ तैयार की जा रही है। तैयार शुदा मतदाता सचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 28.12.2014 तथा 30.12.2014 हैं।

मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी लोकसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। अतः मतदाता सूचियों में जो कमियाँ रह जायें उन्हें उक्तानुसार सही करवाया जावे। इस विषय में आयोग द्वारा पत्रांक 4138 दिनांक 19.9.2014 को प्रसारित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

3. **मतदान केन्द्रों का विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों की नियुक्ति** — राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अध्वधीन रहते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 5001 दिनांक 27.10.2014 के द्वारा आपको निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हेतु जिले के जिला कलक्टर को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया हुआ है और आपके प्रस्तावानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किये जा चुके हैं। इसकी सूचना आपको प्रेषित कर दी गई है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये जाने का नियमों में प्रावधान है। अतः आशा है आप द्वारा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई होगी, यदि नहीं की गई है तो दिनांक 17.12.2014 तक नियुक्ति कर दिनांक 17.12.2014 के सांय तक ही आयोग को नियुक्ति सूचना उपलब्ध करवायें।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 (2) के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत वृत्त के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी तथा नियम 31 के अंतर्गत मतदान दलों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। आपके जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना यदि अब तक एकत्र नहीं की गई है तो तुरन्त एकत्र करवा लेवें और मतदान दल के गठन के संबंध में आवश्यक तैयारी आरम्भ कर ली जावे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 5214 दिनांक 30.10.2014 के द्वारा यह भी बताया गया था कि, मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जावे जो उस पंचायत समिति क्षेत्र का निवासी हो अथवा वहाँ पदस्थापित हो, जिसके अंतर्गत मतदान केन्द्र आता है। अतः उपरोक्तानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना समेकित करते हुए आगे की कार्यवाही शीघ्र करने की व्यवस्था करावें।

कानून एवं व्यवस्था के लिए जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में उपलब्ध अधिकारियों की नियुक्ति की जावेगी, इस हेतु आपके स्तर से विधि व न्याय विभाग, सचिवालय से "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" की शक्तियाँ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही भी की जानी है।



4. **मतदान सामग्री**— मतपेटियों जिलों में उपलब्ध हैं। इनकी ऑयलिंग/ग्रीसिंग व मरम्मत के संबंध में दिशा निर्देश पत्रांक 8150 दिनांक 17.11.2014 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। इस अनुसार यह कार्य दिनांक 10.12.2014 तक सम्पन्न किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। उक्तानुसार आप द्वारा मतपेटियों को तैयार करवा लिया गया होगा। यदि नहीं तो, शीघ्र ही तैयार करवा लें। आपके जिले में मतपेटियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जाँच कर लें तथा यदि निर्वाचन हेतु जिले में उपलब्ध मतपेटियों के अतिरिक्त और आवश्यकता हो तो आयोग को यह स्पष्ट करते हुए कि, छोटी एवं बड़ी कितनी-कितनी मतपेटियों की आवश्यकता है, दिनांक 18.12.2014 तक अवगत करवावें। मतपेटियों की अतिरिक्त उपलब्धता (Surplus) की सूचना भी आयोग को दिनांक 22.12.2014 तक प्रेषित कर दी जावे।

मतदान सामग्री, फॉर्मर्स, लिफाफे आदि आयोग द्वारा मुद्रित कराये जा रहे हैं। उक्त मुद्रित सामग्री, जो आयोग को प्राप्त हो चुकी है तथा अमिट स्याही का वितरण आयोग द्वारा कर दिया गया है। शेष रही सामग्री के वितरण की तिथियों की सूचना से आपको शीघ्र ही अवगत करवा दिया जायेगा।

अन्य मतदान सामग्री यथा पीठासीन अधिकारी की मुहर, ऐरोक्रॉस सील, काउंटिंग ट्रे इत्यादि की आवश्यकता और अपने भण्डार में उपलब्धता की जाँच कर लें और यदि कोई कमी हो तो, इस संबंध में आयोग के पत्रांक 9447 दिनांक 16.12.14 के निर्देशानुसार क्रय करने की कार्यवाही करें।
पत्रांक 9451 दि. 16.12.14

5. **मतपत्र** — पंच, सरपंच तथा जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु मतपत्र मुद्रण के लिए क्रमशः पत्रांक 4767 दिनांक 15.10.2014 तथा 4974 दिनांक 22.10.2014 के द्वारा आपको विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से करवाया जाना है। आपके जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालयों से कागज दिनांक 15.12.2014 तक प्राप्त किया जाकर पंच, सरपंच के मतपत्रों के मुद्रण का कार्य आपको दिनांक 31.12.2014 तक सम्पन्न करवाना है ताकि पंचायत चुनावों की अन्य गतिविधियों की व्यवस्तता के कारण यह कार्य प्रभावित नहीं हो। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के मतपत्र भी निजी मुद्रणालय से ही मुद्रित होंगे। उक्त मतपत्र निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के बाद तीन-चार दिन में ही मुद्रित करवाने होंगे। अतः इसकी भी आवश्यक तैयारियों माह दिसम्बर, 2014 में ही कर ली जावे एवं कागज भी राजकीय मुद्रणालयों से प्राप्त कर लिया जावे।
6. **ईवीएम एवं उससे संबंधित मतपत्र** — राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 16 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाये जा रहे हैं। संबंधित जिलों को ईवीएम का आवंटन किया जा चुका है। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच (First Level Checking) के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियर्स/तकनीशियन्स आपके जिले में आयेंगे। FLC की तिथियों से आपको शीघ्र ही अवगत करा दिया जावेगा। निर्धारित तिथियों में इसे आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जाना होगा। ईवीएम के मतपत्र भी निजी मुद्रणालयों से मुद्रित होंगे, इसके लिए कागज राजकीय मुद्रणालयों से दिनांक 31.12.2014 तक प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
7. **पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न पदों/सीटों का आरक्षण** — पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों/सीटों के आरक्षण के संबंध में राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग के पत्रांक 1574 दिनांक 28.11.2014 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार उक्त कार्यवाही दिनांक 9.12.2014 से 20.12.2014 तक की जानी है। अतः उक्त पत्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न करावें तथा पदों के आरक्षण की सूचना दिनांक 21.12.2014

15/12

तक आयोग को भेजा जाना सुनिश्चित करें। उक्त पदों के आरक्षण संबंधी सूचना को आयोग की वेबसाईट पर ई-सूची के यूआरएल पर भी अपलोड करने की व्यवस्था करावें।

8. **बजट** – विभिन्न मदों पर आपको बजट आवंटित किया जा चुका है। कोई अतिरिक्त राशि की मांग है तो सकारण अधिक मांग के प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।
9. **निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना** – इस संबंध में आयोग के पत्रांक 9440 दिनांक 15/12/2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। मॉडल फार्म के प्ररूप भी पत्र के साथ संलग्न हैं।
10. **चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना** – जिला स्तर पर चुनाव की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ गठित किये जाते हैं। यदि ये प्रकोष्ठ अब तक गठित नहीं किये हैं तो, इनका गठन भी शीघ्र कर लिया जावे।

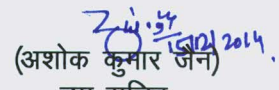
भवदीय,


(सत्यप्रकाश बसवाला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 16/12/2014

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ 9455-57
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग।


(अशोक कुमार जेन)
उप सचिव,